

## जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि० (राजस्थान सरकार का उपक्रम)

अप्रनि / जोधपुर डिस्कॉम / अनु वाणिज्य / पत्रा. .... / प्रे. सं. 1562 जोधपुर, दिनांक 13.11.2001

**विषय :- 5000 से अधिक आबादी के गांवों में विद्युत सप्लाई प्रदान करने के संबंध में**

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 3-11-2001 में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में रबी की फसल के दौरान निरन्तर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने पर पुनर्विचार किया गया।

रबी की फसल के दौरान कृषि उपभोक्ता के अत्यधिक कृषि भार व एक ही विद्युत फीडर पर कृषि उपभोक्ता व भिन्न-भिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के होने के कारण इस प्रकार के गांवों में 24 घण्टे लगातार सप्लाई देने के लिये 33/11 के वी. सब-स्टेशन से सप्लाई लगातार उपलब्ध होगी। कृषि उपभोक्ता जो कि इस प्रकार के तन्त्र से जुड़े होंगे उनको 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति का लाभ होगा जबकि दूसरे को ब्लॉक में विद्युत् आपूर्ति होगी। अतः इस प्रकार की दुविधा दूर करने के लिये समन्वय समिति ने निम्न निर्णय लिया है:- केवल ऐसे गांवों में 24 घण्टे विद्युत् आपूर्ति जारी रखी जाए जिनकी आबादी (जनगणना 1991 के अनुसार) पाँच हजार से ज्यादा हो और 300 से अधिक चालू (Active) घरेलू विद्युत् सम्बंध हो।

जोधपुर  
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपी निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा.-जोधपुर जोन / बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी / वित्तीय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./पी.पी.एण्ड एम./पदार्थ प्रबन्ध/ एम. एण्ड पी./ बी.एफ. एल.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/ बाहमेर/ जैसलमेर/ चुरू/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़ को प्रेषित कर लेखा है कि वे अपने अधिनस्थ कार्यरत समस्त अधिशासी/सहायक अभियन्ताओं तथा सहायक राजस्व अधिकारियों को उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि अपने स्तर पर प्रेषित करावें।
6. उपमुख्य अभियन्ता (ऊर्जा), रीको जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं संधा./ एम.एम./ अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
8. निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
10. कम्पनी सचिव/ उपनिदेशक (पी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता (विधि/ एम. आई एस.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
12. लेखाधिकारी (वाणिज्य), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)